षष्ठम् माला, खंड 22, अंक 1, सोमवार, 19 फरवरी, 1979/30 माघ, 1900 (शक)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

6th Lok Sabha

[सातवां सत्र]

[खंड 22 में अंक 1 से 10 तक हैं]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

षष्ठम् माला, खण्ड 22, सातवां सत्र, 1979/1900-1901 (शक)
अंक 1, सोमवार, 19 फरवरी, 1979/30 माघ, 1900 (शक)

	पृष्ठ
सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची	(iii)–(x)
सभा के अधिकारी	(xi)
मंत्रिमण्डल के सदस्यों तथा राज्य मंत्रियों की सूची	(xii)
सदस्य द्वारा शपथग्रहण (श्री पी० शिवशंकर)	1
हंगरी के संसदीय शिष्टमण्डल का स्वागत	1
राष्ट्रपति का अभिभाषण––सभा पटल पर रखा गया	2–8
निधन संबंधी उल्लेख	9–10
नये मंत्रियों का परिचय	11
सभा पटल पर रखे गये पत्र	11–16
रेलवे अभिसमय समिति पांचवां प्रतिवेदन	16
चीनी उपक्रम (प्रबंध ग्रहण) संशोधन विधयक-पुरः स्थापित	16
चीनी उपक्रम (प्रबंध ग्रहण)संशोधन अध्यादेश के बारे में विवरण श्री सुरजीत सिंह बरनाला	16
श्रमजीवी पत्रकार तथा अन्य समाचारपत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) विधेयक-पुरः स्थापित	17
श्रमजीवी पत्रकार तथा अन्य समाचारपत्र कर्मचारी (सेंवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) अध्यादेश के बारे में विवरण श्री रवीन्द्र वर्मा	17

लोक सभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

षष्ठम् लोक-सभा

अ

अंकनीडु, श्री मगन्ती (मछलीपटनम्)
अंकिनीडु प्रसादराव, श्री पी० (बापतला)
अंसारी, श्री फकीर अली (मिर्जापुर)
अकबर जहान बेगम, श्रीमती (श्रीनगर)
अग्रवाल, श्री सतीश (जयपुर)
अर्गल, श्री छबीराम (मुरैना)
अन्बालागन, श्री पी० (रामनाथपुरम)
अंनन्तन, श्री कुमारी (नागरकोइल)
अप्पालानायडु, श्री एस० आर० ए० एस० (अनकापल्ली).
अब्दुल लतीफ, श्री (नालागोड़ा)
अमात, श्री डी० (सुन्दरगढ़)
अमीन, प्रो० आर० के० (सुरेन्द्र नगर)
अरूणाचलम्, श्री एम० (टेंकासी)
अरूणाचलम, उर्फ अलाबी अरूणा, श्री वी० (तिरूनेलवेलो)
अलगेशन, श्री ओ० बी० (अर्कोनम)
अलहाज, श्री एम० ए० हनान (बसीरहाट)
अल्लूरी, श्री सुभाषचन्द्र बोस (नरसापुर)
अवारी, श्री गेव० एम० (नागपुर)
अशोकराज, श्री ए० (परेम्बलूर)
असाईथाम्बी, श्री ए० वी० पी० (मद्रास उत्तर)
अहमद, श्री हलीमुद्दीन (किशनगंज)
अहमद हूसैन, श्री (धुबरो)
अहसान जाफरी, श्री (अहमदाबाद)

आरिफ बेग, श्री (भोपाल)
आस्टिन, डा० हैनरी (एरनाकुलम)
आहूजा, श्री सुभाष (बेतुल)

इन्द्र सिंह, श्री (हिसार)

उ

उग्रसेन, श्री (देवरिया)
उन्नीकृष्णन, श्री के० पी० (बड़ागारा)

ए

एंगती, श्री बीरेन (स्वायत्तशासी जिला)
एलनचेजियन, श्री वी० एस० (पुडुक्कोट्टाई)

ओ

ओंकार सिंह, श्री (बदायूं)
उरांव, श्री लालू (लोहरदगा)

क

कछवाय, श्री हुकुम चन्द (उज्जैन)
कदम, श्री बी० पी० (कनारा)
कानन, श्री पी० (सलेम)
कपूर, श्री लखन लाल (पूर्णिया)
कर्ण सिंह, डा० (उधमपुर)
कल्याणसुन्दरम, श्री एम० (तिरूचिरापल्ली)
कृष्ण कान्त, श्री (चण्डीगढ़)
कृष्णन्, श्री जी० वाई० (कोलार)
कृष्णन्, श्रीमती पार्वती (कोयम्बटूर)
कृष्णप्पा, श्री एम० वी० (चिकबल्लापुर)
काकड़े, श्री सम्भाजीराव (बारामती)
कंडनापल्ली, श्री राम चन्द्रन (कासरगोड)
कामाक्षया, श्री डी० (नेल्लोर)
कामत, श्री हरि बिष्णु (होशंगाबाद)
काम्बले, श्री बी० सी० (बम्बई दक्षिण मध्य)
कार, श्री सरत (कटक)
कालदाते, डा० बापू (औरंगाबाद)
कासर, श्री अमृत (पणजी)
किदवई, श्रीमती मोहसिना (आजमगढ़)
किशोरलाल, श्री (पूर्व दिल्ली)
किस्कू, श्री जदूनाथ (झाड़ग्राम)

कुन्हम्बू, श्री के० (ओटापालम)
कुन्डू, श्री समरेन्द्र (बालासोर)
कुरील, श्री आर० एल० (मोहनलालगंज)
कुरील, श्री ज्वाला प्रसाद (धाटमपुर)
कुरेशी, श्री मोहम्मद शफी (अनंतनाग)
कुशवाहा, श्री रामनरेश (सलेमपुर)
केशरवानी, श्री एन० पी० (बिलासपुर)
कैलाश प्रकाश, श्री (मेरठ)
कैंहो, श्री (बाह्य मनीपुर)
कोन्नाशेट्टी, श्री ए० के० (बेलगांव)
कोडियन, श्री पी० के० (अडूर)
कोलनथाइवेल, श्री आर० (तिरूचेगोड)
कोलूर, श्री राजशेखर (रायचूर)
कौसलराम, श्री के० टी० (तिरूचेंडूर)
कौशिक, श्री पुरुषोत्तम (रायपुर)

ख

खिमे रिंनचिंग खाण्डू (अरूणाचल-पश्चिम)
खां, श्री इस्माइल हुसेन (बारपेटा)
खां, कुवंर महमूद अली (हापुड़)
खां, श्री गुलाम मोहम्मद (मुरादाबाद)
खां, श्री महमूद हुसेन (बुलन्दशहर)
खां, श्री मोहम्मद शमसुलहसन (पीलीभीत)
खालसा, श्री बसन्तसिंह (रोपड़)

ग

गंगा भक्त सिंह, श्री (शाहबाद)
गंगा सिंह, श्री (मंडी)
गवई, श्री डी० जी० (बुलढ़ाना)
गट्टानी, श्री आर० डी० (जोधपुर)
गामित, श्री छीतूभाई (माण्डवी)
गायकवाड़, श्री एफ० पी० (बड़ौदा)
गिरजानन्दन सिंह, श्री (शिवहर)
गुप्त, श्री कंवर लाल (दिल्ली सदर)
गुप्त, श्री श्याम सुन्दर (बाढ़)
गुलशन, श्री धन्ना सिंह (भटिंडा)
गुह, श्री समर (कन्टाई)
गोगोई, श्री तरूण (जोरहाट)
गोडे, श्री सन्तोषराव (वर्धा)
गोपाल, श्री के० (करूर)
गोदारा, चौ० हरी राम मक्कासर (बीकानेर)
गोमांगो, श्री गिरिधर (कोरापुट)
गोरे, श्रीमती मृणाल (बम्बई-उत्तर)
गोटखिंडे, श्री अण्णासाहिब (सांगली)
गोयल, श्री कृष्ण कुमार (कोटा)
गोस्वामी, श्रीमती विभा घोष (नवद्वीप)
गौडा, श्री एम० ननजेश (हसन)
गौंडर, श्री वैंणुगोपाल (वान्डी-वाशा)

घ

घोषाल, श्री सुधीर (मिदनापुर)

च

चक्रवर्ती, प्रो० दिलीप (कलकत्ता-दक्षिण)
चटर्जी, श्री सोमनाथ (जादवपुर)
चतुर्भुज, श्री (झालावाड़)
चतुर्वेदी, श्री शम्भूनाथ (आगरा)
चन्दन सिंह, श्री (कैराना)
चन्द्र, डा० प्रतापचन्द्र (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व)
चन्द्रपाल सिंह, श्री (अमरोहा)
चन्द्रप्पन, श्री सी० के० (कन्नानोरा)
चन्द्रशेखर, श्री (बलिया)
चन्द्रशेखर सिंह, श्री (वाराणसी)
चन्द्रावती, श्रीमती (भिवानी)
चरण नरजरो, श्री (कोक-झार)
चरण सिंह, श्री (बागपात)
चव्हाण, श्री यशवन्तराव (सतारा)
चव्हाण, श्रीमती प्रेमलाबाई (कराड)
चांदराम, श्री (सिरसा)
चाँवड़ा श्री के० एस० (पाटन)
चिक्कलिंगया, श्री के० (माण्डया)
चेतरी, श्री के० बी० (दार्जिलिंग)
चौधरी, श्री ईश्वर (गया)
चौधरी, श्री के० बी० (बीजापुर)
चौधरी, श्री त्रिदिब (बरहामपुर)
चौधरी, श्री मोतीभाई आर० (बनासकांठा)
चौधरी, श्रीमती रशोदाहक (सिलचर)
चौधरी, श्री रुद्रसेन (केसरगंज)
चौहान, श्री बेगाराम (गंगानगर)
चौहान, श्री नवाब सिंह (अलीगढ़)
चौहान, श्री भारत सिंह (धार)

ज

जगजीवन राम, श्री (सासाराम)
जगन्नाथन, श्री एन० (श्रीपेराम्बुडुर)
जयलक्ष्मी, श्रीमती वी० (शिवकासी)
जसरोटिया, ठाकुर बलदेव सिंह (जम्मू)

जार्ज, श्री एस० सी० (मुकुन्दपुरम)
जाफर शरीफ, श्री सी० के० (बंगलौर-उत्तर)
जावदे, श्री श्रीधर राव नाथोवाजी (यवतमाल)
जुल्फीकार उल्ला, श्री (सुल्तानपुर)
जेठमलानी, श्री राम (बम्बई-उत्तर-पश्चिम)
जैन, श्री कचरू लाल हेमराज (बालाघाट)
जैन, श्री कल्याण (इन्दौर)
जन, श्री निर्मल चन्द (सिवनी)
जायस्वाल, श्री अनन्तराम (फैजाबाद)
जोरदार, श्री दिनेश (माल्डा)
जोशी, डा० मुरली मनोहर (अल्मोड़ा)

ट

टिर्की, श्री पीयूस (अलीपुर द्वार)
टोम्बी सिंह, श्री एम० (आन्तरिक मणिपुर)

ठ

ठाकरे, श्री कुशाभाऊ, (खंडवा)
ठाकूर, श्री अघन सिंह (कांकेर)
ठाकुर, श्री कृष्णराव (चिमूर)

ड

डान, श्री राज कृष्ण (वर्दवान)
डोले, श्री एल० के० (लखिमपुर)
डामोर, श्री सोमजीभाई (दोहद)
डिगल, श्री श्रीवाटचा (फूलवनी)

ढ

ढिल्लों, श्री इकबाल सिंह (जालन्धर)

त

तनसिंह, श्री (बाड़मेर)
तालवंडी, श्री जगदेव सिंह (लुधियाना)
तिवारी, श्री द्वारिका नाथ (गोपालगंज)
तिवारी, श्री बृज भूषण (खलीलाबाद)
तिवारी, श्री मदन (राजनंदगांव)
तिवारी, श्री रामानन्द (बक्सर)
तुर, श्री मोहन सिंह (तरन तारन)
तुलसीराम, श्री वी० (पैड्डापल्ली)
तोहरा, श्री जी० एस० (पटियाला)
तेज प्रताप सिंह, श्री (हमीरपुर)
त्यागी, श्री ओम प्रकाश (बहराइच)
त्यागराजन, श्री पी० (शिवगंगा)
त्रिपाठी, श्री माधव प्रसाद (डुमरिया गंज)
त्रिपाठी, श्री राम प्रकाश (कन्नौज)

थ

थामस, श्री स्कारिया (कोट्टायन)
थोरट, श्री भाऊसाहिब (पंढरपुर)

द

दंडवते, प्रो० मधु (राजापुर)
दण्डयुतपाणि, श्री वी० (बेल्लोर)
दत्त, श्री अशोक कृष्ण (दमदम)
दवे, श्री अनन्त (कच्छ)
दानवे, श्री पुण्डलोक हरि (जालना)
दाभी श्री अजीत सिंह (आनन्द)
दामाणी, श्री एस० आर० (शोलापुर)
दास, श्री रेणुपद (कृषनगर)
दास, श्री श्याम सुन्दर (सीतामढ़ी)
दास गुप्ता, श्री के० एन० (जलपाइगुड़ी)
दासप्पा, श्री तुलसीराम (मैसूर)
दिग्विजय नारायण सिंह, श्री (वैशाली)
दुर्गाचन्द कंवर, (कांगड़ा)
देशमुख, श्री नानाजी (बलरामपुर)
देशमुख, श्री राम प्रसाद (हाथरस)
देशमुख, श्री शेषराव (परभनी)
देसाई, श्री डी० डी० (कैरा)
देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)
देसाई, श्री दाजीबा (कोल्हापुर)
देसाई, श्री हितेन्द्र (गोधरा)
देवराजन, श्री वी० (रसिपुरम)
देव, श्री वी० किशोर चन्द्र (पार्वतीपुरम)
देव, श्री पी० के० (कालाहांडी)

ध

धारा, श्री सुशील कुमार (तामलुक)
धारिया, श्री मोहन (पुणे)
धुर्वे, श्री श्याम लाल (मंडला)
धोंगडे, श्री केशवराव (नांदेड़)

न

नाथू सिंह, श्री (दौसा)
नथवानी, श्री नरेन्द्र पी० (जूनागढ़)
नथूनी राम, श्री (नवादा)
नरेन्द्र सिंह, श्री (दमोह)

नाहटा, श्री अमृत (पाली)
नायक, श्री लक्ष्मीनारायण (खजुराहो)
नायक, श्री एस० ऐच० (नांदरबार)
नायक, श्री वी० पी० (वाशिम)
नायक, श्री बी० के० (मर्वलिकारा)
नायर, श्री एन० श्रीकान्तन (क्विलोन)
नायर, डा० सुशीला (झांसी)
नारायण, श्री के० एस० (हैदराबाद)
नाहर, श्री विजय सिंह (कलकत्ता-उत्तर-पश्चिम)
नायर, श्री एम० एन० गोविन्दन (त्रिवेन्द्रम)
नायडू, श्री पी० राजगोपाल (चित्तूर)
नेगी, श्री टी० एस० (टिहरी गढ़वाल)

प

पंडित, डा० वसन्तकुमार (राजगढ़)
पटनायक, श्री बीजू (केन्द्रपाड़ा)
पटनायक, श्री शिवाजी (भुवनेश्वर)
पटवारी, श्री एच० एल० (मंगलदाई)
पटेल, श्री अहमद एम० (गड़ोच)
पटेल, श्री आर० (दादरा और नगर हवेली)
पटेल, श्री एच० एम० (साबरकंठा)
पटेल, कुमारी मणिबेन वल्लभभाई (मेहसाना)
पटेल, श्री द्वारकादास (अमरेली)
पटेल, श्री धर्म सिंह भाई (पोरबन्दर)
पटेल, श्री नानूभाई एन० (बलसार)
पटेल, श्री मीठालाल (सवाई माधोपुर)
परमार, श्री नटवरलाल (ढंढुका)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परस्ते, श्री दलपतसिंह (शहडोल)
परूलेकर, श्री बापूसाहिब (रत्नागिरी)
पई, श्री टी० ए० (उदीपी)
पांडे, श्री अम्बिका प्रसाद (बांदा)
पांडेय, डा० लक्ष्मी नारायण (मन्दसौर)
पजनौर, श्री ए० बाला (पांडिचेरी)
पाटिल, श्री एस० बी० (बागलकोट)
पाटिल, श्री चन्द्रकांत (हिंगोली)
पाटिल, श्री डी० बी० (कोलाबा)
पाटिल, श्री बालासाहिब विखे (कोपरगांव)
पाटिल, श्री यू० एस० (लातूर)
पाटिल, श्री विजय कुमार एन० (धुलिया)
पाटिल, श्री एस० डी० (इरन्दोल)
पाटीदार, श्री रामेश्वर (खरगोन)
पासवान, श्री राम विलास (हाजीपुर)
पार्थसारथी, श्री पी० (राजमपेट)
पार्वती देवी, श्रीमती (लद्दाख)
पिपिल, श्री मोहन लाल (खुर्जा)
पुजारी, श्री जनार्दन (मंगलौर)
पुल्लय्या, श्री दारूर (अनन्तपुर)
परटिन, श्री बकिन (अरूणाचल पूर्व)
पेरियासामी, डा० पी० वी० (कृष्णगिरि)
प्रधान. श्री अमर राय (कूचबिहार)
प्रधान, श्री गणनाथ (सम्बलपुर)
प्रधान, ,श्री पवित्र मोहन (देवगढ़)
प्रधान, श्री क० (नौरंगपुर)

फ

फजलूर रहमान, श्री (बेतिया)
फैलीरो एडुआर्जो, श्री (मारमोगोआ)
फर्नान्डीज, श्री जार्ज (मुजफ्फरपुर)
फिरंगी, प्रसाद, श्री (बासगाव)

ब

बटेश्वर हेमराम, श्री (दुमका)
बद्रीनारायण, श्री ए० आर० (शिमोगा)
बनातवाला, श्री जी० एस० (पोन्नानी)
बड़कटकी, श्रीमती रेणुकादेवी (गोहाटी)
बरनाला, श्री सुरजीत सिंह (संगरूर)
बरव, श्री जे० सी० (रामटेक)
बर्मन, श्री किरित विक्रमदेव (त्रिपुरा)
बर्मन, श्री पलाश (बलूरघाट)
बरूआ, श्री देवकान्त (नवगांव)
बरूआ, श्री वेदव्रत (कलियाबोर)
बलदेव प्रकाश डा० (अमृतसर)
बलवीर सिंह, चौधरी (होशियारपुर)
बहुगुणा, श्री हेमवती नन्दन (लखनऊ)
बहुगणा, श्रीमती कमला (फुलपुर)
बॉसप्पा, श्री कोंडाजी (दावनगेरे)
बसु, श्री चित (बारासाट)
बसु, श्री ज्योतिर्मय (डायमंड हार्बर)
बसु, श्री धीरेन्द्र नाथ (कटवा)
बागड़ी, श्री मनीराम (मथुरा)
बागुन, सम्बरूई, श्री (सिंहभूम)
बल, श्री प्रद्युमन किशोर (जगतसिंहपुर)
बालकराम, श्री (शिमला)
बालकृष्णाय्या, श्री टी० (तिरूपति)
वीरेन्द्र प्रसाद, श्री (नालन्दा)

बरांडे, श्री गंगाधर अप्पा (भिर)
बरोगी, श्री जेना (भद्रक)
बैरी, श्री ए० ई० टी० (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)
बेरवा, श्री रामकंवर (टोक)
बोंडे, श्री नानासाहिब (अमरावती)
बोड्डपल्ली, श्री राजगोपालराव (श्रीकाकुलम)
बोरोल, श्री यशवन्त (जलगांव)
बृजराज सिंह, श्री (आंवला)
ब्रह्म प्रकाश चौधरी (बाह्य दिल्ली)

भ

भंवर, श्री भागीरथ (झाबूआ)
भक्त, श्री मनोरंजन (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह)
भगतराम, श्री (फिल्लोर)
भट्टाचार्य, श्री दीनेन (सीरमपूर)
भट्टाचार्य, श्री श्याम प्रसन्न (उलूबेरिया)
भदौरिया, श्री अर्जुन सिंह (इटावा)
भारत भूषण, श्री नैनीताल
भीष्मदेव, श्री एम० (नगरकुरनूल)
भुवाराहन, श्री जी० (कुड्डुलूर)

म

मंगलदेव, श्री (अकबरपुर)
मंडल, श्री धनिक लाल (झंझारपुर)
मंडल, श्री मुकुन्द (मथुरापुर)
मंडल, डा० विजय (बांकुरा)
मंडल, श्री बी० पी० (मधेपुर)
मछण्ड, श्री रघुबीर सिंह (भिण्ड)
मनोहरलाल, श्री (कानपुर)
मलिक, श्री मुख्तियार सिंह (सोनीपत)
मल्लिक, श्री रामचन्द्र (जाजपुर)
मल्लिकार्जुन, श्री (मेडक)
मल्होत्रा, श्री विजय कुमार (दक्षिण दिल्ली)
महाटा, श्री सी० आर० (पुरूलिया)
महाला, श्री के० एल० (झुन्झुन)
महाले, श्री हरि शंकर (मालेगांव)
महिषि, डा० सरोजिनी (धारवाड़ उत्तर)
महीलाल, श्री (बिजनौर)
मांगर, श्री अण्णा साहिब (खेड)
माथुर, श्री जगदीश प्रसाद (सीकर)
मानकर, श्री लक्ष्मणराव (भंडारा)
माने, श्री राजाराम शंकरराव (इचलकरंजी)
मायातेवर, श्री के० (डिंडीगल)
मालना, श्री के० (चित्रदुर्ग)
मावलंकर, प्रो० पी० जी० (गांधीनगर)
मिर्जा, श्री सैयद कासिम अली (मर्शिदाबाद)
मिर्धा, श्री नाथुराम (नागौर)
मिरी, श्री गोविन्द राम (सारगढ)
मृत्युंजय प्रसाद (सीवान)
मिश्र, श्री जनेश्वर (इलाहाबाद)
मिश्र, श्री जी० एस० (छिंदवाड़ा)
मिश्र, श्री श्यामनन्दन (बेगुसराय)
मुखर्जी, श्री समर (हावड़ा)
मुण्डा, श्री गोविन्द (क्योझंर)
मुण्डा, श्री कड़िया (खुटी)
मुरंमू, फादर एन्थनी (राजमहल)
मुराहरी, श्री गोडे (विजयवाड़ा)
मूरूगेसन, श्री ए० (चिदम्बरम)
मुल्तान सिंह, चौधरी (जलेसर)
मूर्ति, श्री कुसुमा कृष्ण (आमलापुरम)
मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर ((कनकपुर)
महालगी, श्री आर० के० (थाना)
मेदुरी, श्री नागेश्वरराव (तेनाली)
मेहता, श्री अजीत कुमार (समस्तीपुर)
मेहता, श्री प्रसन्न भाई (भावनगर)
मैथ्यु, श्री जार्ज (मुवतुपुन्जा)
मोहनरंगम, श्री आर० (चिंगलपट्टू)
मोहन भैया, श्री (दुर्ग)
मोदक, श्री विजय (हुगली)
मोहम्मद हयात अली, श्री (रायगंज)
मोहसिन, श्री एफ० एच० (धारवाड़ दक्षिण)
मोहिन्द्र सिंह, श्री (करनाल)
माइति, आभा श्रीमती (पंसकुरा)

य

मल्लैया, श्री नन्दी (सिद्धिपेट)
यादव, श्री जगदम्बी प्रसाद (गोड्डा)
यादव, श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद (खगागरिया)
यादव, श्री नरसिंह (चन्दौली)
यादव, श्री रामजी लाल (अलवर)
यादव, श्री रूपनाथ सिंह (प्रतापगड़)
यादव, श्री विनायक प्रसाद (सहरसा)
यादव, श्री शरद (जबलपुर)
यादव, श्री हुक्म देव नारायण (मधुबनी)

यदवेन्द्रदत्त, श्री (जौनपुर)
यल्लैया, श्री नंदी (सिद्धिपेट)
युवराज, श्री (कटिहार)

र

रघुबीर सिंह, श्री (कुरुक्षेत्र)
रघुरामैया, श्री के० (गूंटूर)
रथ, श्री रामचन्द्र (अास्का)
रणजित सिंह, श्री (हमीरपुर)
रवि, श्री वयालार (वरायिनकिल)
रवीन्द्र प्रताप सिंह, श्री (अमेठी)
रशीद मसूद, श्री (सहारनपुर)
रांगनेकर, श्रीमती अहिल्या पी० (बम्बई उत्तर-मध्य)
राकेश, श्री आर० एन० (तायल)
राघव, श्री जी० (विदिशा)
राघवेन्द्र सिंह, श्री (उन्नाव)
राचैया, श्री बी० (धामराजनगर)
राज केशर सिंह, श्री (मछली शहर)
राजदा, श्री रतन सिंह (बम्बई दक्षिण)
राजन, श्री के० ए० (त्रिचूर)
राजनारायण, श्री (राय बरेली)
राजू, श्री के० ए० (पोलाची)
राजू, श्री पी० वी० जी० (बोब्बिला)
राठवा, श्री अमर सिंह भाई (छोटा उदयपुर)
राठौर, डा० भगवान दास (हरिद्वार)
राम अवधेश सिंह, श्री (विक्रमगंज)
राम, श्री रामदेनी (पालामू)
राम किकर, श्री (बाराबंकी)
रामकिशन, श्री (भरतपुर)
राम गोपाल सिंह, चौधरी (बिल्लौर)
रामचन्द्रन श्री पी० (मद्रास मध्य)
रामचरण, श्री (जालौन)
रामजी सिंह, डा० (भागलपुर)
रामधन, श्री (लालगंज)
रामजीवन सिंह, श्री (बलिया)
रामदास सिंह, श्री (गिरीडीह)
रामदेव सिंह, श्री (महाराजगंज)
रमापति सिंह, श्री (मोतिहारी)
राम मूर्ति, श्री (बरेली)
राम मूर्ति, श्री के० (धर्मपुरी)
रामलिंगम, श्री एन० कुदनतई (मयूरम)
रामलिंगम, श्री पी० एस० (नीलगिरी)
राम सागर, श्री (हैदपुर)
रामास्वामी, श्री के० एस० (गोबिचेट्टिपालयम)
रामास्वामी, श्री एस० (पेरियाकुलम)
रामूवालिया, श्री बलवन्त सिंह (फरीदकोट)
राय, श्री ए० के० (धनबाद)
राय, श्री गौरी शंकर (गाजीपुर)
राय, श्री नर्मदा प्रसाद (सागर)
राय, श्री शिवराम (धोसी)
राय, डा० सरदीश (बोलपुर)
राय, श्री सौगत (बैरकपुर)
राव, श्री एस० एम० संजीवी (काकीनाडा)
राय, श्री एम० सत्यनारायण (करीमनगर)
राव, श्री जगन्नाथ (बरहामपुर)
राव, श्री जलगाम कोंडाला (खम्मम)
राव, श्री जे० रामेश्वर (महबूबनगर)
राव, श्री जी० मल्किार्जन (वारंगल)
राव, श्री पट्टाभी राम (राजामुन्द्री)
राव, श्री पी० वी० नरसिंह (हनमकोण्डा)
राव, श्रीमती बी० राधाबाई आनंद (भद्राचलम)
राव, श्रीराजे विश्वेश्वर (चन्द्रपुर)
राही, श्री राम लाल (मिसरिख)
रेड्डी, श्री एम० रामगोपाल (निजामाबाद)
रेड्डी, श्री एस० आर० (गुलबर्गा)
रेड्डी, श्री के० ओबुल (कड़प्पा)
रेडी, श्री के० ब्रह्मानन्द (नरसारावपेट)
रेड्डी, श्री के० विजय भास्कर (कुरनूल)
रेड्डी, श्री जी० एस० (निरायलगुडा)
रेड्डी, श्री जी० नरसिम्हा (आदिलाबाद)
रेड्डी, श्री पी० बायप्पा (हिन्दपुर)
राड्रिक्स, श्री रूडोल्फ (नाम निर्देशित आंग्ल-भारतीय)
रोथुआम, डा० आर० (मिजोरम)

ल

लकप्पा, श्री के० (तुमकुर)
लक्ष्मीनारायण, श्री एम० आर० (तिंडिवनम)
लहानु सिडवा कोम, श्री (डहानु)
लालू प्रसाद, श्री (छपरा)
लाल, श्री श्याम सुन्दर (बयाना)
लालजी, भाई श्री (सलूम्बर)
लास्कर, श्री निहार (करीमगंज)
लियाकत हुसैन, श्री सैयद (फतहपुर)
लिमये, श्री मधु (बांका)
लिंगडोह, श्री होपिंस्टोन (शिलांग)

व

वाघेला, श्री शंकर सिंह जी (कपड़गंज)
वकील, श्री अब्दुल अहाद (बारामुला)
वर्मा, श्री रीतलाल प्रसाद (कोडरमा)
वर्मा, श्री सुखदेव प्रसाद (चतरा)
वर्मा, श्री चन्द्रदेव प्रसाद (आरा)
वर्मा, श्री फूल चन्द (शाजापुर)
वर्मा, श्री बृजलाल (महासमुन्द्र)
वर्मा, श्री रघुनाथ सिंह (मैनपुरी)
वर्मा, श्री रवीन्द्र (रांची)
वर्मा, श्री हरगोविन्द (सीतापुर)
वशिष्ट, श्री धर्मवीर (फरीदाबाद)
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (नई दिल्ली)
विश्वनाथन, श्री सी० एन० (तिरूपत्तूर)
वीरभद्रप्पा, श्री के० एस० (बेल्लारी)
वेंकटरामन, श्री आर० (मद्रास दक्षिण)
वेंकटासुब्बया, श्री पी० (नन्दयाल)
वेंकटारेड्डी, श्री पी० (ओंगोल)

श

शंकर देव, श्री (बीदर)
शंकरानंद, श्री बी० (चिक्कोडी)
शर्मा, श्री जगन्नाथ (गढ़वाल)
शर्मा, श्री यज्ञदत्त (गुरदासपुर)
शर्मा, श्री राजेन्द्र कुमार (रामपुर)
शांति देवी, श्रीमती (सम्भल)
शाक्य, श्री दया राम (फरूखाबाद)
शाक्य, डा० महादीपक सिंह (एटा)
शारदा, श्री एस० के० (अजमेर)
शास्त्री, श्री भानु कुमार (उदयपुर)
शास्त्री, श्री रामधारी (पदरौना)
शास्त्री, श्री यमुना प्रसाद (रीवा)
शाह, श्री डी० पी० (वस्तर)
शाह, श्री सुरथ बहादुर (खेरी)
शिन्दे, श्री अण्णासाहिब पी० (अहमदनगर)
शिव नारायण, श्री (बस्ती)
शिव सम्मति राम, श्री (राबर्टगंज)
शिवशंकर, श्री पी० (सिकंदराबाद)
शुक्ल, श्री चिमन भाई एच० (राजकोट)
शुक्ल, श्री मदल लाल (जजगीर)
शेजवलकर, श्री एन० के० (ग्वालियर)
शेठ, श्री विनोदभाई बी० (जामनगर)
शेर सिंह, प्रो० (रोहतक)

शाबजा, श्रीमती रानो एम० (नागालैंड)
श्रृंगारे, श्री टी० एस० (उस्मानाबाद)
श्रीकृष्ण सिंह, श्री (मुंगरे)
षाडंगी, श्री रूद्र प्रताप (जमशेदपुर)

स

संगमा, श्री पी० ए० (तुरा)
सईद, श्री पी० एम० (लक्षदीप)
सैयद, मोहम्मद डा० वी० ए० (कालीकट)
सईद मर्तजा, श्री (मुज्फ्फरनगर)
सक्सेना, प्रो० शिब्बनलाल (महाराजगंज)
सत्पथी, श्री देवेन्द्र (ढ़कानाल)
सत्यदेव सिंह, श्री (गोंडा)
सत्यनारायण, श्रीदरोनमराजू (विशाखापत्तनम)
सरकार, श्री शक्ति कुमार (जयनगर)
सरदार, श्री महेन्द्रनारायण (अररिया)
सारण, श्री दौलतराम (चुरु)
सरसूनिया, श्री शिव नारायण (करोलबाग)
साठे, श्री बसंत (अकोला)
सान्याल, श्री शशकसेखर (जंगीपुर)
साय, श्री लारंग (सरगुजा)
साय, श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव (रायगढ़)
सैयांवाला, श्री महेन्द्र सिंह (फिरोजपुर)
सामन्त सिहेरा, श्री पदमचरण (पुरी)
साह, श्री एन्थू (बोलनगीर)
साहा, श्री ए० के० (विष्णुपुर)
साहा, श्री शदाधर (बीरभूम)
सिंह, डा० बी० एन० (हजारी बाग)
सिकन्दर बख्त, श्री (चांदनी चौक)
सिन्हा, श्री एच० एल० पी० (जहानाबाद)
सिन्हा, श्री महामाया प्रसाद (पटना)
सिधा, श्री सचिन्द्र लाल (त्रिपुरा-पश्चिम)
सिंधिया, श्री माधवराव (गुना)
सिन्हा, श्री पूर्ण नारायण (तेजपुर)
सिन्हा, श्री सत्येन्द्र नारायण (औरंगाबाद)
सिन्हा, श्री सी० एम० (मयूरगंज)
सुखेन्द्र सिंह, श्री (सतना)
सुधीरन, श्री वी० एम० (अलप्पी)
सुन्ना साहिब, श्री ए० (पायलट)
सुब्रह्मण्यम, श्री सी० (पलानी)
सुमन, श्री रामजी लाल (फिरोजाबाद)
सुमन, श्री सुरेन्द्र झा (दरभंगा)
सुरेन्द्र विक्रम, श्री (शाहजहांपुर)
सूरजभान, श्री (अम्बाला)

39 LSS/78—2

सर्यनारायण, श्री के० (एलुरू)
सेन, श्री प्रफुल्ल चन्द्र (आरामबाग)
सेन, श्री रोबिन (आसनसोल)
सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान (मंजेरी)
सैनी, श्री मनोहर लाल (महेन्द्रगढ़)
सोमानी, श्री रूपलाल (भीलवाड़ा)
सोमानी, श्री एम० एस० (चित्तौड़गढ़)
स्टीफन, श्री सी० एम० (इदक्की)
स्वतन्त्र, श्री जगन्नाथ प्रसाद (बगहा)
स्वामी, श्री सिद्धरामेश्वर (कोप्पल)
स्वामी, डा० सुब्रह्मण्यम (बम्बई-उत्तर पूर्व)
स्वामीनाथन, श्री आर० वी० (मदुरे)

ह

हजारी, श्री राम सेवक (रोसड़ा)
हरिकेश बहादुर, श्री (गोरखपुर)
हरेन भूमिज, श्री (डिब्रूगढ़)
हान्डे, श्री वी० जी० (नासिक)
हाल्दर, श्री कृष्ण चन्द्र (दुर्गापुर)
हीराभाई, श्री (बांसवाड़ा)
हुकम राम, श्री (अजालोर)
हेगड़े, श्री के० एस० (बंगलोर-दक्षिण)

क्ष

क्षेत्री, श्री छत्र बहादुर (सिक्किम)

लोक-सभा

अध्यक्ष

श्री के० एस० हेगड़े

उपाध्यक्ष

श्री गोडे मुराहरी

सभापति तालिका

श्री धीरेन्द्रनाथ बसु

श्रीमती पार्वती कृष्णन्

डा० सुशीला नायर

श्री राममूर्ति

श्री एम० सत्यनारायण राव

श्री एन० के० शेजवलकर

सचिव

श्री अवतार सिंह रिखी

भारत सरकार

मंत्री मंडल के सदस्य

भारत सरकार

मंत्री मंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री	श्री मोरारजी देसाई
उपप्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री	श्री चरण सिंह
उपप्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री	श्री जगजीवन राम
सूचना और प्रसारण मंत्री	श्री लालकृष्ण आडवाणी
पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री	श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा
निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री	श्री सिकन्दर बख्त
कृषि और सिंचाई मंत्री	श्री सुरजीत सिंह बरनाला
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री	श्री शान्ति भूषण
शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री	डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र
रेल मंत्री	प्रो० मधु दण्डवते
वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री	श्री मोहन धारिया
उद्योग मंत्री	श्री जार्ज फर्नान्डीज़
पर्यटन और नागर विमानन मंत्री	श्री पुरूषोत्तम कौशिक
गृह मंत्री	श्री एच० एम० पटेल
इस्पात और खान मंत्री	श्री बीजू पटनायक
ऊर्जा मंत्री	श्री पी० रामचन्द्रन
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री	श्री रवि राय
विदेश मंत्री	श्री अटल बिहारी बाजपेयी
संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री	श्री रवीन्द्र वर्मा
संचार मंत्री	श्री बृजलाल वर्मा

राज्य मंत्री

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री सतीश अग्रवाल
शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्रीमती रेणुकादेवी बरकटकी
वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री आरिफ बेग
नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री	श्री चान्द राम
वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री कृष्ण कुमार गोयल
शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री धन्ना सिंह गुलशन
निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री राम किंकर

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री समरेन्द्र कुन्डु
उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री . . .	श्रीमती आभा माइती
गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री धनिक लाल मण्डल
ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री . . .	श्री जनेश्वर मिश्र
इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री . .	श्री कड़िया मुण्डा
पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री .	श्री नरसिंह यादव
गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री . . .	श्री एस० डी० पाटिल
योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री फजलुर रहमान
श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री . .	श्री लारंग साय
संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री नरहरि प्रसाद सुकदेव साय
रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री . .	श्री शिव नारायण
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री . . .	प्रो० शेर सिंह
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री .	श्री भानु प्रताप सिंह
सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री . . .	श्री जगवीर सिंह
श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री .	डा० राम कृपाल सिंह
उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री . . .	श्री जगदम्बी प्रसाद यादव
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री . .	श्री जुल्फीकार उल्लाह

लोक-सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)

खण्ड 22, छठी लोक सभा के सातवें सत्र का प्रथम दिवस अंक 1

लोक-सभा

सोमवार, 19 फरवरी, 1979/30 माघ, 1900 (शक)

लोक-सभा बारह बजकर चालीस मिनट पर समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये)

अध्यक्ष महोदय : आप सबको नया वर्ष मुबारक हो ।

माननीय सदस्य : आपको भी ।

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

श्री पी० शिव शंकर (सिकन्दराबाद)

हंगरी के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य गण सर्व प्रथम मुझे एक घोषणा करनी है ।

अपनी ओर से तथा सभा के सदस्यों की ओर से हंगरी जनवादी गणराज्य की संसद के डिप्टी चेयरमैन, महामहिम डा० जनोस पीटर तथा हंगरी के संसदीय शिष्ट-मंडल के माननीय सदस्यों, जो हमारे सम्मानीय अथितियों के रूप में भारत की यात्रा पर आये हैं का स्वागत करने में मुझे अपार हर्ष हो रहा है ।

शिष्टमंडल के माननीय सदस्य निम्न प्रकार से हैं ।

1. डा० मिहाली कोमोसिन, संसद सदस्य
2. श्री संडोर मग्यार, संसद सदस्य
3. श्रीमती मिकलस वडकेरटी, संसद सदस्या
4. श्री लस्जलो रैंन्डनोटी, संसद सदस्य

शिष्टमंडल यहां बुधवार, 14 फरवरी, 1979 को पहुंचा । अब तक उन्होंने बंगलौर तथा बम्बई की यात्रा कर ली है ।

शिष्टमंडल के सदस्य विशेष प्रकोष्ट में बैठे हुए हैं । उनके माध्यम से हम हंगरी की संसद तथा हंगरी जनवादी गणराज्य के मित्र लोगों को अपनी शुभ कामनाएं प्रेषित करते हैं ।

राष्ट्रपति का अभिभाषण

सचिव : मैं आज एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष राष्ट्रपति द्वारा दिए गए अभिभाषण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

राष्ट्रपति का अभिभाषण

माननीय सदस्यगण,

संसद् के 1979 के इस पहले सत्र में आपका स्वागत करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है । आपके सामने काफी लम्बी-चौड़ी कार्यसूची है और मैं आपके बजट तथा विधायी कार्यक्रम के शीघ्र पूरा होने की शुभकामना करता हूं ।

2. पिछले वर्ष हमें अभूतपूर्व बाढ़ों का सामना करना पड़ा जो वर्तमान समय में सबसे भयंकर थीं । इनमें बहुत सी जानें गईं; दूर-दूर तक फसलों को नुकसान पहुंचा और निजी और सरकारी दोनों प्रकार की सम्पत्ति को भारी नुकसान हुआ । हमारे देश के लोगों ने इस मुसीबत का जिस साहस और धैर्य से सामना किया उसकी प्रशंसा करनी होगी । राज्य सरकारों ने इन बाढ़ों से उत्पन्न हुई अति कठिन स्थिति का सामना दक्षता और शीघ्रता से किया । केन्द्रीय सरकार ने उदारतापूर्वक धनराशि तथा अन्य आवश्यक साधन देकर सहायता की । रक्षा सेवाओं और पुलिस कर्मचारियों ने भी राहत प्रदान करने में उल्लेखनीय कार्य किया और मैं यहां उन सभी की प्रशंसा करना चाहूंगा । साथ ही, मैं भारत और विदेशों में स्थित उन विभिन्न एजेंसियों और व्यक्तियों के प्रति भी व्यक्तिगत आभार प्रकट करना चाहूंगा जिन्होंने धन और साधन दोनों देकर सहायता की और कई अन्य प्रकार से सेवा कार्य किया । इतने बड़े पैमाने पर आई बाढ़ों के अनुभव के आधार पर, सरकार उन्हें नियंत्रित करने के एक सुनियोजित प्रयास की ओर विशेष ध्यान दे रही है ।

3. पिछले वर्ष मैंने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में 1974 और 1975 में किए गए संशोधनों के निरसन का जिक्र किया था ताकि इन संशोधनों से पहले जो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी उसकी पुनः स्थापना की जा सके । निर्वाचन प्रक्रिया को अधिक न्यायोचित बनाने और उसे हानिकर प्रभावों से मुक्त रखने के लिए निर्वाचन कानूनों और कार्यविधि में कुछ बुनियादी सुधार सरकार के विचाराधीन हैं । इस संबंध में तैयार किये गए विस्तृत प्रस्तावों पर विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ विचार-विमर्श किया जायेगा ।

4. यह उल्लेखनीय है कि हमारी प्रणाली ने समय-चक्र के तनावों और दबावों का सफलतापूर्वक सामना किया है । इसका बहुत कुछ श्रेय नागरिक स्वाधीनताओं की पुनः स्थापना, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के स्वतंत्र रूप से कार्य करने और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण पाए जाने को है । 1977 से पहले के वर्षों में बहुत अधिक मुद्रास्फीति हुई और बाद में सभी मांगों का दमन किया गया । आज की बहुत सी मांगें उस काल में दबाई गई मांगों की पूर्ति का ही प्रयास दिखाई देती हैं । यह दुर्भाग्य की बात है कि इनमें से कुछ मांगों का आधार राजनीतिक अधिक, और आर्थिक कम है ।

5. सरकार ने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को आपातकाल की बेड़ियों से मुक्त कराने और विधि पर आधारित शासन को पुनः स्थापित करने के प्रयास को जारी रखा है । संविधान (पैंतालीसवां संशोधन) विधेयक को संसद् के दोनों सदनों ने पास कर दिया है और अब उसे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन के लिये भेजा हुआ है । विभिन्न आयोगों ने आपातकाल की ज्यादतियों और कुछ व्यक्तियों द्वारा अपने उच्च पदों के कथित दुरुपयोग की जांच की है । उनकी रिपोर्टों पर कार्रवाई की जा रही है । आपातकाल के दौरान उच्च राजनीतिक और सरकारी पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा किये गये अपराधों के सम्बन्ध में मुकदमे चलाने के लिये विशेष अदालतें स्थापित करने के बारे में सरकार का एक विधेयक पेश करने का विचार है।

आकाशवाणी और दूरदर्शन को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए जो कार्य-दल नियुक्त किया गया था उसने अपनी रिपोर्ट दे दी है। सरकार का इस विषय में जल्द-से-जल्द एक विधेयक पेश करने का विचार है।

6. पिछले कुछ वर्षों में राजनीतिक क्रियाकलापों का गुरुत्व केन्द्र शहरों से देहात की ओर बढ़ता रहा है। बढ़ती हुई आशाओं और आकांक्षाओं ने देहात के लोगों को आर्थिक मामलों के प्रति अत्याधिक संवेदनशील बना दिया है। इस परिवर्तन के साथ-साथ सामाजिक तनाव भी बढ़े हैं। हमारे लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि हम, राजनीतिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टियों से, इस परिवर्तन को कितने सुव्यवस्थित ढंग से संभाल पाते हैं।

7. पिछले वर्ष मैंने यह उल्लेख किया था कि विकास की नीति को नया रूप देकर और, खासतौर से देहाती इलाकों में, गरीबी और व्यापक बेरोजगारी की समस्याओं का दृढ़ता से मुकाबला करके सरकार ने अपने सोचने के तरीके में दिशा-परिवर्तन किया है। सरकार की यही मूलभूत उत्कंठा छठी योजना में प्रतिबिम्बित हुई है। सरकार के इस बुनियादी दृष्टिकोण का राष्ट्रीय विकास परिषद् ने समर्थन किया है।

8. देश के विकास में राज्यों को जो भूमिका निभानी है उसके विचार से यह उपयुक्त ही है कि उसकी पूर्ति के लिए उन्हें वित्तीय रूप से समर्थ बनाया जाए। सातवें वित्त आयोग ने राज्यों को पर्याप्त मात्रा में वित्तीय साधन सौंपने का प्रावधान किया था। भारत सरकार ने आयोग की इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। राष्ट्रीय विकास परिषद् ने यह निदेश दिया था कि संविधान के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए केन्द्र और राज्यों के वित्तीय संबंधों का पुनर्विलोकन किया जाए, और उसकी जांच करने के लिए उसने एक समिति नियुक्त की थी। 1978-79 में योजना प्रक्रिया आरम्भ होने के बाद पहली बार, राज्यों के कुल योजना परिव्यय केन्द्र से अधिक रहे।

9. 1977-78 में, उससे पिछले वर्ष के 1.4 प्रतिशत की तुलना में, राष्ट्रीय आय में लगभग 7.4 प्रतिशत (1970-71 की कीमतों के आधार पर) वृद्धि हुई। कृषि और ग्रामीण विकास को जो उच्च प्राथमिकता दी गई है उसके उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त होने लगे हैं। चालू वर्ष में, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में बाढ़ों से हुई व्यापक क्षति के बावजूद, खरीफ में खाद्यान्न का उत्पादन लगभग पिछले वर्ष जितना होने की आशा है। मूंगफली, तिलहन, कपास और जूट का उत्पादन पिछले वर्ष से भी अधिक होने की संभावना है। वर्तमान रबी की फसल भी अच्छी होगी, ऐसी आशा है।

10. 1977-78 में, 26 लाख हैक्टेयर भूमि के लिए अतिरिक्त सिंचाई क्षमता जुटाई गई जो किसी एक वर्ष में किसी भी देश द्वारा प्राप्त की गई उच्चतम उपलब्धि है। चालू वर्ष का लक्ष्य 28 लाख हैक्टेयर का है। 1977-78 में उर्वरकों की खपत में पिछले वर्ष की अपेक्षा 26 प्रतिशत वृद्धि हुई और यह रुख इस वर्ष भी कायम रखा गया है। सिंचाई और उर्वरकों की खपत के ये आंकड़े कृषि की ओर अधिकाधिक ध्यान देने की नीति की सफलता को उजागर करते हैं, और इस नीति के परिणाम भी प्रत्यक्ष ही हैं।

11. खाद्यान्नों के रेकार्ड उत्पादन के कारण, जो पिछले वर्ष 1256 लाख मीटरी टन था, खाद्य पूर्ति की स्थिति सुखद हो गई है। सभी अनाज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहे हैं और उनकी कीमतें स्थिर रही हैं। उनके एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जाने पर पाबंदियां न होने से कमी और अधिकता वाले क्षेत्रों के बीच खाद्यान्नों की कीमतों में अंतर कम हो गया है।

12. चीनी का उत्पादन 1977-78 में 64.7 लाख मीटरी टन के एक नए कीर्तिमान तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष के रेकार्ड से लगभग 34 प्रतिशत अधिक है। चीनी की खपत 20 प्रतिशत बढ़कर लगभग

45 लाख मीटरी टन हो गई । 16 अगस्त, 1978 से चीनी के वितरण और कीमतों पर से नियंत्रण हटा लिया गया। उसके बाद चीनी की कीमतें और गिरी जिससे उपभोक्ताओं को लाभ हुआ। गन्ना उत्पादकों के दीर्घकालीन हितों की रक्षा के लिये भी उपाय ढूंढ लिये गये हैं ।

13. खाद्यान्नों और औद्योगिक क्षेत्र के बढ़े हुए उत्पादन की झलक मूल्य स्तरों के स्थिर रहने और देश भर में आवश्यक वस्तुओं और उपभोक्ता सामग्री के आसानी से उपलब्ध होने में परिलक्षित होती है। चालू वर्ष के अधिकांश भाग में थोक-मूल्य-सूचकांक 2 प्रतिशत से भी कम के सीमित दायरे के भीतर रहा है। दरअसल अप्रैल-अक्तूबर 1978 का सूचकांक 1977 के उन्हीं महीनों, जो स्वयं अपेक्षाकृत मूल्य स्थिरता का काल था, के सूचकांक से औसतन 1.1 प्रतिशत कम रहा । मूल्यों में यह स्थिरता मुद्रा और राजकोष संबंधी नियंत्रण, उपयुक्त मूल्य निर्धारण नीतियों, अधिक उत्पादन, खाद्य-तेलों जैसी आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं को आयात के जरिए उपलब्ध कराए जाने और आवश्यक वस्तुओं के निर्यात पर नियमन द्वारा प्राप्त की गई है । अभी भी दालों, तिलहनों और सीमेंट जैसी कुछ वस्तुओं के मूल्य और उपलभ्यता निरन्तर चिन्ता का विषय बने हुए हैं । इन वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि के लिये कार्यक्रम आरम्भ किये गए हैं।

14. कंट्रोल प्रणाली में ढील के लिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं उनके अच्छे नतीजे सामने आ रहे हैं। खाद्यान्नों की आवाजाही पर पाबंदियां हटाने और औद्योगिक लाइसेंस स्वीकृत करने और आयात नीतियों और प्रक्रियाओं में ढील देने के लाभ उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों को हुए हैं। एक समिति इस प्रश्न पर विचार कर रही है कि कंट्रोल प्रणाली में और कहां ढील देना संभव है।

15. देहात में गरीब लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए 1978-79 में लिया गया एक महत्वपूर्ण कदम एक सम्पूर्ण ग्रामीण विकास कार्यक्रम आरम्भ करना था। इस नये कार्यक्रम में, देहाती इलाकों में विकास की गतिविधियों को और गहन करके गरीबी हटाने की जोरदार कोशिश की गई है । कुल 5,004 ब्लाकों में से 2,300 ब्लाकों को गहन विकास के लिए चुना गया है। इन ब्लाकों को कमज़ोर वर्गों के हित की स्कीमें बनाने के लिए प्रति ब्लाक पांच लाख रुपये की विशेष सहायता दी जायेगी जो उनके सामान्य विकास कार्यक्रम पर होने वाले परिव्यय के अलावा होगी। इस अतिरिक्त सहायता से गांव के बेरोजगार और अल्प-रोजगार व्यक्तियों के लिए लाभदायक रोजगार पैदा होंगे और उनकी आय, पोषण और रहन-सहन के स्तरों में वृद्धि होगी। इससे स्थायी प्रकृति के सामुदायिक साधन उपलब्ध होंगे और गांवों का आधार मजबूत होगा। 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम गांवों में रोजगार दिलाने और उनके विकास में प्रमुख रूप से सहायक हुआ है । पिछले वर्ष, राज्यों के जरिये, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 2.04 लाख मीटरी टन गेहूं बांटा गया था तथा इस वर्ष 10 लाख मीटरी टन का लक्ष्य है । 'काम के बदले अनाज' स्कीमों के द्वारा इस वर्ष 40 करोड़ दिहाड़ी के बराबर काम उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है ।

16. श्री अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक समिति ने पंचायती-राज संस्थाओं के कार्य की जांच की और ग्रामीण योजना और विकास की अधिक कारगर और विकेन्द्रीकृत प्रणाली के लिए उपाय सुझाए। इसकी रिपोर्ट पर निकट भविष्य में राज्यों के साथ विचार-विमर्श किया जाना है ।

17. सरकार भूमि सुधार उपायों को जल्दी अमल में लाए जाने को बहुत महत्व देती है । संविधान की नवीं अनुसूची में प्रदत्त संरक्षण को सभी नये भूमि सुधार कानूनों पर लागू किया जाएगा । नवम्बर, 1978 तक भूमिहीन लोगों को 6.48 लाख हैक्टेयर भूमि बांटी गई थी। भूमि प्राप्त करने वालों में 50 प्रतिशत से अधिक लोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के थे। राज्य सरकारों से आग्रह किया गया है कि जो जमीन अतिशेष घोषित की जाये, उसके शीघ्र वितरण का प्रबन्ध हो। राज्य सरकारों का ध्यान भूमि-अभिलेखों को सही तरीके से रखने और उन्हें अद्यतन बनाने की आवश्यकता की ओर आकृष्ट किया गया है। सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य बड़े पैमाने पर किये जा रहे हैं और बकाया मामलों के निपटान के लिए राज्यों ने विशेष अभियान चलाए हैं ।

18. समाज के कमजोर वर्गों, जैसे छोटे-छोटे किसानों, खेतिहर मजदूरों, देहाती कारीगरों, असामी काश्तकारों, बटाईदारों और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोगों को कृषि-ऋण देने पर जोर दिया गया है। 1978-79 के अंत तक कृषि ऋण की मात्रा 2,215 करोड़ रुपये तक पहुंच जाने की उम्मीद है जबकि पिछले वर्ष यह 1,676 करोड़ रुपए थी। संस्थाओं के माध्यम से दिए जाने वाले कुल ऋण का एक-तिहाई भाग समाज के कमजोर वर्ग लेते हैं।

19. राष्ट्रीय सहकारिता-नीति संकल्प के अनुसार, इस बात पर निगरानी रखने के लिये कदम उठाये गये हैं कि सहकारी संस्थाएं ऋण, उर्वरकों और अन्य कृषि-संबंधी जरूरतों को पूरा करें। सहकारी संस्थाएं कृषि-उत्पाद को तैयार माल के रूप में लाने और उसकी बिक्री की व्यवस्था करने का काम कर रही हैं और उन्हें मूल्य-समर्थन भी दे रही है। सार्वजनिक उपभोग की आवश्यक वस्तुओं को उचित मूल्य पर, खासकर देहाती इलाकों में, उपलब्ध कराने का काम बहुत सारे सहकारी बिक्री-केन्द्रों के जरिये किया जा रहा है।

20. विकेन्द्रीकृत ग्रामीण, लघु और कुटीर उद्योगों का विकास करके रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिये सरकार देश के प्रत्येक जिले में जिला-उद्योग-केन्द्र खोल रही है। अब तक ऐसे लगभग 250 केन्द्रों को मंजूरी दे दी गई है, और बाकी केन्द्रों को आगामी वर्ष में खोलने का विचार है। खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के सहायता कार्यक्रमों को मजबूत किया गया है। एकमात्र लघु क्षेत्र में ही विकसित किये जाने के लिए आरक्षित वस्तुओं की संख्या 504 से बढ़ा कर 807 कर दी गई है और लघु और कुटीर उद्योगों को संरक्षण देने के लिये कानून बनाने का विचार है।

21. सरकार देहात के लोगों की न्यूनतम आवश्यकताओं से अवगत है, जैसे कि पीने का पानी, देहाती सड़कें, चिकित्सा सुविधायें (खासकर स्त्रियों के लिये), प्राथमिक और प्रौढ़ शिक्षा और बेघर लोगों के लिये मकान बनाने की जमीन, और इन सबके लिये कार्यक्रमों को मंजूरी दे दी गई है। मिसाल के तौर पर, मार्च, 1981 तक 1,13,000 से अधिक समस्याग्रस्त गांवों को पीने लायक पानी देने का लक्ष्य है। इनमें से 18,000 गांवों की जरूरत को पिछले वर्ष पूरा किया गया और 27,000 अन्य गांवों की जरूरत को इस वर्ष पूरा किये जाने की सम्भावना है। देहाती और शहरी दोनों इलाकों में गरीब लोगों के लिए मकानों की व्यवस्था भी की जा रही है, और एक बड़ी राशि देहात में मकान बनाने के लिये खासतौर से निर्धारित की जा रही है। ग्रामीण आवास-स्थल योजना के अन्तर्गत 74.6 लाख भूमिहीन परिवारों को पहले ही घर बनाने के लिये जमीन दे दी गई है और अब इन परिवारों को छोटी लागत के मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता देने के लिये इस योजना के क्षेत्र का विस्तार किया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि राज्य सरकारें न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को पूरी लगन से कार्यान्वित करेंगी।

22. राष्ट्रीय विकास परिषद् की सिफारिश के अनुसार और केन्द्र तथा राज्य सरकारों के अनुमोदन से, उत्पादन व वितरण की एक व्यावहारिक स्कीम तैयार की गई है। इस स्कीम में सम्मिलित उपाय के रूप में उत्पादन, प्राप्ति, भंडार, परिवहन और वितरण सभी शामिल हैं। प्रस्तावित प्रणाली का अधिकांश लाभ समाज के कमजोर वर्गों को होगा। इस स्कीम का देशव्यापी कार्यान्वयन 1 जुलाई, 1979 से शुरू होगा।

23. देश के उत्तर-पूर्वी भाग की परिवहन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये छह नई रेलवे लाइनों की मंजूरी दी गई है। इनके बन जाने से इस क्षेत्र का प्रत्येक राज्य और संघ-शासित क्षेत्र रेलवे प्रणाली से जुड़ जाएगा।

24. सरकार ने 1978-79 में 7 से 8 प्रतिशत के बीच औद्योगिक वृद्धि की दर प्राप्त करने की दिशा में एक कार्यक्रम की घोषणा की। व्यापक बाढ़ों के बावजूद, जिनसे कोयला, इस्पात और रेल जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र गंभीर रूप से प्रभावित हुए, इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेने की संभावना है। प्रभावी परिवीक्षण से अड़चनों पर काबू पाने में सहायता मिली और अप्रैल-नवम्बर, 1978 के दौरान वृद्धि-दर लगभग 8 प्रतिशत

रही । अगले वर्ष के लिये जिस लक्ष्य को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है वह इस वर्ष की उपलब्धि से अधिक होगा। बिजली उत्पादन की कमी इस साल औद्योगिक उत्पादन में रुकावट का कारण नहीं रह गयी है क्योंकि पिछले वर्ष की अपेक्षा अब तक लगभग 13 प्रतिशत बिजली उत्पादन अधिक हुआ है । इस्पात का कुल उत्पादन भी पिछले वर्ष की अपेक्षा 6 प्रतिशत अधिक हुआ है । उर्वरकों, वाणिज्यक वाहनों तथा अलुमिनियम का उत्पादन पिछले वर्ष के स्तर से कहीं ऊपर है । उर्वरकों, तेल और गैस, इस्पात, सीमेंट, कागज, अलुमिनियम और अन्य अलौह धातुओं जैसे कुछेक अति-महत्वपूर्ण क्षेत्रों में देश की समग्र जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार ने पहले ही एक नीति को अंतिम रूप दे दिया है ताकि हमारे आर्थिक विकास के इन बुनियादी क्षेत्रों में हमारे देश को पहले की तरह लगातार कमियों का सामना न करना पड़े। सरकार भारतीय नौवहन उद्योग की दशा पर भी चिन्तित है । उसके महत्व को देखते हुए सरकार ने सुपात्र नौवहन कम्पनियों को सहायता प्रदान करने का निर्णय किया है ताकि वे अपनी विकट वित्तीय कठिनाइयों पर काबू पा सकें। रुग्ण उद्योगों की समस्या से सामान्य रूप से निबटने के लिए सरकार ने कुछ मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाए हैं जिनके अनुसार, पहले अपनाई गई तदर्थ नीति के स्थान पर, रुग्ण यूनिटों का अधिग्रहण विवेकपूर्वक किया जाएगा । एक उच्चाधिकार-प्राप्त छानबीन समिति ऐसे सभी प्रस्तावों की जांच करती है और उपयुक्त कार्यवाई की सिफारिश करती है ।

25. रोजगार के नए अवसर प्रदान करने में वस्त्र-उद्योग के महत्व को ध्यान में रखते हुए, अगस्त, 1978 में एक समेकित वस्त्र-नीति की घोषणा की गई थी जिसमें आम जनता की कपड़े की जरूरतों को पूरा करने और रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए हथकरघों के विकास पर बल दिया गया है। कंट्रोल के कपड़े का वितरण-प्रबंध मजबूत कर दिया गया है और सस्ते कपड़े के उत्पादन का दायित्व मुख्यतः राष्ट्रीय वस्त्र निगम को सौंप दिया गया है । चालू वित्त वर्ष के पहले आठ महीनों में सूती धागे के उत्पादन में 9 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है, जो एक रेकार्ड है। इसके बावजूद, मिल-क्षेत्र में वस्त्र का उत्पादन केवल 2 प्रतिशत बढ़ा है जो इस बात की ओर संकेत करता है कि धागे के उत्पादन का पहले से अधिक भाग विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में बढ़े हुए उत्पादन में इस्तेमाल हुआ है । नई नीति इसी उम्मीद पर आधारित थी।

26. इस समय संसद् के समक्ष प्रस्तुत औद्योगिक संबंध विधेयक में मालिक-मजदूरों के बीच अच्छे संबंधों के प्रति एक व्यापक दृष्टिकोण निहित है । माननीय सदस्यों को इस विधेयक पर गंभीरता और तत्परता से विचार करना चाहिए ।

27. सरकार ने साक्षरता के प्रसार के अपने वायदे को पूरा करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है । अगले पांच वर्षों में 10 करोड़ प्रौढ़ निरक्षरों को शिक्षित करने के लिए एक विराट राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है । अगले 10 वर्षों में प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसामान्य बनाने के लिए भी एक कार्यक्रम चलाया गया है । इसके साथ-साथ, शिक्षा को व्यावहारिक बनाने तथा उसे लोगों के जीवन और वातावरण के साथ जोड़ने के उद्देश्य से, सभी स्तरों पर शिक्षा की विषय-वस्तु को नया रूप देने के लिए कार्यक्रम शुरू किये गये हैं । जहाँ तक महिलाओं का संबंध है, प्रौढ़ महिलाओं को शैक्षिक और व्यवसायिक निपुणता प्रदान करने के लिए व्यावहारिक साक्षरता-कार्यक्रम शुरू किये जाते हैं।

28. संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के संकल्प के अनुसार, 1979 को अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है । स्कूल जाने से पूर्व की आयु के बच्चों के लिए स्वास्थ्य, पोषण, रोग-प्रतिरक्षण और शिक्षण की समेकित सेवाओं में वृद्धि करने का सरकार का विचार है । ये सेवायें प्रौढ़ महिलाओं को व्यावहारिक साक्षरता प्राप्त कराने और शिशु कल्याण कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के साथ-साथ चलेंगी । स्वयंसेवी संगठन शिशु कल्याण कार्यक्रम आरम्भ कर सकें, इस दृष्टि से एक राष्ट्रीय बाल-कोष की स्थापना की जा रही है ।

29. कोठारी समिति और संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों के अनुसार, सरकार ने परीक्षा की एक संशोधित प्रणाली को स्वीकृति प्रदान की है जिसका उद्देश्य चयन के आधार पर व्यापक बनाना है। इस प्रणाली के अन्तर्गत, पहले एक स्क्रीनिंग परीक्षा होगी और उम्मीदवारों को आठवीं अनुसूची की किसी भी भाषा को परीक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने की छूट होगी।

30. जनसंख्या में बेहिसाब वृद्धि देश की आर्थिक उपलब्धियों को सीमित कर देती है। सरकार परिवार नियोजन कार्यक्रम को जोरदार तरीके से चलाने के के लिए कृत-संकल्प है। इस समस्या की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकारों और जनता का पूर्ण सहयोग आवश्यक है। सारे देश को ही छोटे परिवार के आदर्श को स्वीकार करना चाहिए।

31. सरकार विज्ञान-नीति संकल्प, 1958 के प्रति वचनबद्ध है। 1978--83 की योजना में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रस्तावित परिव्यय 2,491 करोड़ रुपये है, जो कि पांचवीं योजना में दी गई राशि का लगभग दुगुना है। सरकार की शीघ्र ही प्रौद्योगिकी नीति पर एक वक्तव्य जारी करने क विचार है।

32. विश्व के और देशों के साथ हमारे सम्बन्धों के मामले में सरकार ने गुट-निर्पेक्षता और रचनात्मक सहयोग की नीति का दृढ़तापूर्वक अनुसरण कया है। यह बहुत संतोष की बात है कि हमारी विदेश नीति अब अधिक सराही जाती है और सभी देश इसका इस दृष्टि से सम्मान करते हैं कि यह प्रादेशिक और विश्व की शांति और सुरक्षा की प्रक्रिया में योगदान दे रही है।

33. बड़ी शक्तियों के साथ भारत के सम्बन्ध गुट-निरपेक्षता के प्रति गहरी आस्था, आपसी हित और रचनात्मक सहयोग पर आधारित हैं। जून, 1978 में प्रधान मन्त्री की वाशिंगटन यात्रा से भारत और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच सम्बन्ध सुधरने की दिशा में प्रगति हुई है। भले ही कुछ मामलों में हमारे विचार उनके विचारों से न मिलते हों, लेकिन हमारी और अमरीका की विचारधाराओं में कई मौलिक समानतायें हैं। सोवियत संघ के साथ हमने एक दीर्घकालिक सहयोग का कार्यक्रम प्रारम्भ किया है और हमें विश्वास है कि हमारे दोनों देशों को जो अनेक सम्बन्ध-सूत्र जोड़ते हैं, वे प्रधान मन्त्री श्री कोसीगिन की इस देश की आगामी यात्रा के दौरान और भी मजबूत होंगे। इसी प्रकार प्रधान मन्त्री के यूरोपीय आर्थिक समुदाय के ब्रसेल्स स्थित मुख्यालय के दौरे से भी सौहार्द बढ़ा है। चीन के जनवादी गणराज्य के साथ हमारे सम्बन्धों के सामान्य बनाने की दिशा में भी 'पंचशील' के सिद्धान्तों के आधार पर कदम उठाये गए हैं। माननीय सदस्यों को विदेश मन्त्री की हाल की चीन यात्रा के बारे में मालूम ही है।

"33-क. चीन-वियतनाम सीमा पर अभी हाल में जो घटनाएं हुई हैं उनसे अन्तर्राष्ट्रीय शांति और स्थायित्व को जो खतरा पैदा हो गया है उससे हम गम्भीर रूप से चिन्तित हैं। लाड़ाई तत्काल बन्द होनी चाहिये और पहला कदम यह हो कि चीन की फौजें वियतनाम से हट जाएं।"

34. अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर और संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मेलनों में हम निरस्त्रीकरण खासतौर से आणविक निरस्त्रीकरण के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के निरस्त्रीकरण पर हुए विशेष अधिवेशन में और बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के अधिवेशनों में भी हमने परमाणु-अस्त्र-स्थिति के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति संरचना को कायम रखने की कोशिश के खिलाफ बराबर अभियान जारी रखा है। साथ ही हमने एक ऐसे कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की है जिसका पालन प्रभावी अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण बनाये रखते हुए पूर्ण निरस्त्रीकरण के लक्ष्य की ओर प्रगति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि निरस्त्रीकरण के प्रति वचनबद्धता मानव जाति को शान्ति, प्रगति और सद्बुद्धि के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए आवश्यक है।

35. विकसित देशों ने जो संरक्षणवादी कदम उठाये हैं उनसे सरकार गम्भीर रूप से चिंतित है। इससे देश के निर्यात पर काफी बुरा असर पड़ा है। विकसित देशों में संरक्षणवाद की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को देखते हुए विकासशील देशों द्वारा सामूहिक आत्मनिर्भरता की आवश्यकता पर अधिक बल दिए जाने का महत्व स्पष्ट ही है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार ने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर कई बातों में पहल की है।

36. पश्चिम एशिया में स्थायी और न्यायोचित शांति की तलाश अभी जारी है। अरब लोगों के न्यायोचित पक्ष का समर्थन करने की भारत की सुसंगत नीति अपरिवर्तित है, और इसराइल द्वारा सभी अधिकृत प्रदेशों को खाली किये जाने और फिलिस्तीन के लोगों को आत्म-निर्णय तथा एक स्वतंत्र राज्य के लिए उनके अनपहार्य अधिकारों को पुन: प्राप्त कराने की समस्याओं के व्यापक समाधान के प्रति हम निरन्तर आशावान हैं। अरब जगत के साथ हमारे आर्थिक और प्रौद्योगिकीय सहयोग में गहरी और विस्तृत वृद्धि हुई है।

37. दक्षिण-पूर्व और पूर्वी एशिया और प्रशान्त महासागरीय प्रदेशों में हमने दोस्ती के मौजूदा संबंधों को बनाये रखा है और अपने देश तथा इस प्रदेश के देशों के बीच आर्थिक और प्रौद्योगिकीय सहयोग को मजबूत करना जारी रखा है। दक्षिण-पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ के साथ बातचीत करने की दिशा में प्रयत्न आरम्भ किये गये हैं। विश्व शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देने की दिशा में हम भारत-जापान संबंधों को जो महत्व देते हैं वह विदेश मंत्रियों के स्तर पर विचार-विमर्श की वार्षिक प्रक्रिया आरम्भ किए जाने से स्पष्ट हो जाता है।

38. अफ्रीका के देशों के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंध आर्थिक सहयोग में वृद्धि के जरिये और भी सुदृढ़ हुए हैं। दक्षिणी अफ्रीका की स्थिति अभी भी हमारे लिए चिंता का विषय बनी हुई है। नामीबिया और ज़िम्बाबवे की समस्याओं के न्यायसंगत और शांतिपूर्ण समाधान की जो उम्मीदें बंधी थीं वे जाति-भेदवादी सरकारों के संदिग्ध रुखों और पैंतरेबाजियों के कारण विफल हो गईं। फिर भी हमें इसकी पूरी आशा है कि निकट भविष्य में नामीबिया और ज़िम्बाबवे आज़ादी प्राप्त कर लेंगे। हमने दक्षिणी अफ्रीका में स्वाधीनता आन्दोलनों को नैतिक और भौतिक सहायता देना जारी रखा है।

39. समस्त विश्व में और खासकर अपने नज़दीक के पड़ोसियों के साथ हम अपनी शांति और सहयोग की नीति का पालन तो करते ही रहेंगे साथ ही हम निरन्तर प्रभावशाली सुरक्षा कटिबद्धता की स्थिति में रहने की आवश्यकता को भी पूरी तरह महसूस करते हैं। मुझे यह कहने में प्रसन्नता है कि हमारी रक्षा सेनाओं के मनोबल और प्रशिक्षण की स्थिति बहुत बढ़िया बनी हुई है। उनके उपस्कर को आधुनिक बनाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। इस कार्य में हमारे रक्षा उद्योग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। उत्तरोत्तर आत्म-निर्भरता और स्वदेशीकरण उनके प्रगामी विकास के प्रमुख लक्ष्य हैं।

40. माननीय सदस्यगण मैंने जो अभी कहा है वह इस आशा और विश्वास का पर्याप्त प्रमाण है कि यह देश एक न्यायसंगत सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ता रहेगा बशर्ते कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम सब मिलकर कोशिश करें। दृष्टिकोण भिन्न होते हुए भी हमें अपने उद्देश्यों में एकरूपता लाने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही हमें चाहिए कि न हम ऐसे काम करें न ऐसी बात कहें और न ऐसे रवैये अपनाएं जो हमारे राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधक हों। राष्ट्रीय प्रयास की इस एकरूप भावना के साथ मैं इस सत्र के कार्य के लिए आपका आह्वान करता हूं और आपकी सफलता की कामना करता हूं।

जय हिन्द

श्री पी० वेंकट सुब्बैया (नन्दयाल) : अध्यक्ष महोदय मैं आप के माध्यम से प्रधान मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वह अपने नए सहयोगियों का सभा को परिचय दें।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा किया जायेगा। जल्दबाजी मत कीजिए।

निधन सम्बन्धी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण आज जब हम लगभग 2 महीनों के अंतराल के पश्चात् मिल रहे हैं; मुझे दुख के साथ सभा को अपने एक साथी श्री एस० जी० मरुगयन और 6 भूतपूर्व संसद सदस्यों अर्थात् सर्वश्री ए० शंकर आल्वा, एम० एस० सुगन्धी, चन्द्रमणी लाल चौधरी, जोगेन्द्र सिंह, श्री बी० एल्ला रेड्डी तथा श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला के दुखद निधन के बारे में सूचित करना पड़ रहा है।

श्री मुरुगय्यन तामिलनाडु के नागपट्टिनम निर्वाचन क्षेत्र से इस सभा के सदस्य थे। उनका निधन 48 वर्ष की अल्पायु में 6 जनवरी, 1979 को बहुत ही दुखद परिस्थितियों में हुआ।

एक राजनीतिक तथा सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने 1961-70 के दौरान कोट्टूर के पंचायत संघ के चैयरमैन के रूप में कार्य किया। उनकी किसानों के कल्याण में अत्याधिक रुचि थी और इसीलिये 1970 से वह थंजवूर जिले की किसान सभा के सचिव रहे।

श्री ए० शंकर आल्वा वर्ष 1962—67 के दौरान तीसरी लोक सभा के सदस्य रहे। वह भूतपूर्व मैसूर राज्य के मंगलौर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे।

उन्होंने अपना जीवन एक वकील के रूप में आरम्भ किया और अपना अधिकांश समय सामाजिक कार्यों में लगाया और वे मंगलौर के नागरिक निकाय से सम्बद्ध थे। एक सर्वतोमुखी प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति होने के कारण उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय सेनेट के सदस्य, मैसूर प्रदेश निर्वाचन आयोग के सदस्य तथा दक्षिण कनारा काजू तथा काफी मजदूर संघ के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। कर्नाटक सरकार में वह सहकारिता मंत्री भी रहे। वह कई शैक्षणिक तथा खेल संगठनों से भी सम्बद्ध थे। वह स्वयं क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी थे और दक्षिण कनारा क्रिकेट ऐसोसियेशन के संस्थापक सदस्य थे। उनका निधन 73 वर्ष की आयु में 31 दिसम्बर, 1978 को बंगलौर में हुआ।

श्री एम० एस० सुगन्धी वर्ष 1957—62 के दौरान दूसरी लोक सभा के सदस्य रहे। वह भूतपूर्व मैसूर राज्य के वीजापुर उत्तर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। इससे पूर्व 1937—43 के दौरान वह बम्बई विधान सभा के सदस्य रहे। उन्होंने 1940 के सत्याग्रह आन्दोलन में भाग लिया और 1940-41 तथा 1942-43 में दो बार जेल गए। एक प्रसिद्ध व्यापारी के रूप में वे लगभग पूरा दशक कर्नाटक वाणिज्य मंडल के प्रेजीडेंट रहे। वे वीजापुर में कई संगठनों तथा संस्थाओं से सम्बद्ध थे और उन्होंने कई बार वीजापुर के नागरिक निकाय में भी कार्य किया। एक संसद विद के रूप में उन्होंने अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के लोगों की समस्याओं में गहन रुचि ली। उनका निधन 19 जनवरी 1979 को 80 वर्ष की आयु में बीजापुर में हुआ।

डा० चन्द्रमणीलाल चौधरी 1957—67 के दौरान दूसरी तथा तीसरी लोक सभा के सदस्य रहे। दूसरी लोक सभा के सदस्य के रूप में उन्होंने बिहार के हाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, जबकि तीसरी लोक सभा के दौरान उन्होंने बिहार के माहेना निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। इससे पूर्व वर्ष 1952—57 के दौरान वह बिहार विधान सभा के सदस्य रहे। 1974 में वह राज्य सभा के लिए निर्वाचित हुए और राज्य सभा के वर्तमान सदस्य थे। उन्होंने स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग

लिया था और 1930—32 तथा 1942 में जेल गए । एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में वह अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के लोगों के हितार्थ कार्य करने वाले कई संगठनों से सम्बद्ध थे । उनकी साहित्य में रुचि थी और इसीलिए उर्दू, हिन्दी, बंगला, अरबी तथा फारसी आदि जैसी भाषाओं में उन्होंने प्रवीणता प्राप्त कर ली थी । उनका निधन 64 वर्ष की आयु में 7 फरवरी, 1979 को मुजफ्फरपुर में दुखद परिस्थितियों में हुआ ।

सरदार जोगेन्द्र सिंह केन्द्रीय विधान सभा, संविधान सभा अस्थायी संसद, पहली तथा दूसरी लोक सभा के सदस्य थे । वर्ष 1964—71 के दौरान वह राज्य सभा के सदस्य भी रहे। 1971 में उड़ीसा के राज्यपाल के रूप में उनकी नियुक्ति हो जाने के फलस्वरूप, उन्होंने राज्य सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया । 1977 में उन्होंने लोक सभा का आम चुनाव लड़ने के लिए राज्यपाल के पद से त्यागपत्र दे दिया । वह सिखों के एक प्रतिष्ठित नेता थे और कुछ समय के लिए उन्होंने दिल्ली सिख गुरूद्वारा बोर्ड के चैयरमैन के रूप में भी कार्य किया । वह एक सक्रिय संसदविद्, योग्य राजनीतिक तथा अच्छे प्रशासक थे । उनका निधन 76 वर्ष की आयु में 9 फरवरी, 1979 को बहराइच उत्तर प्रदेश में हुआ ।

श्री वी०येल्ला रेड्डी वर्ष 1952—57 के दौरान पहली लोक सभा के सदस्य रहे । वह आन्ध्र प्रदेश में करीमनगर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे । इससे पूर्व 1958—62 के दौरान वह आन्ध्र प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे । अप्रैल, 1964 में वे राज्य सभा के लिए निर्वाचित हुए और 1970 तक राज्य सभा के सदस्य रहे । 22 वर्ष की आयु में उन्होंने राजनीति में प्रवेश कर लिया था । और नागरिक आवरण आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया । 1938 में उन्होंने भूतपूर्व हैदराबाद राज्य में सत्याग्रह आन्दोलन और 1941 तथा 1943 में किसान आन्दोलन में भी भाग लिया । उनका निधन 70 वर्ष की आयु में 27 दिसम्बर, 1978 को आन्ध्र प्रदेश के करीमनगर ज़िले के गल्लीपाल्ली गांव में हुआ।

श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला पांचवी लोक सभा के सदस्य थे । वर्ष 1971—77 के दौरान उन्होंने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया । वह एक प्रसिद्ध उद्योगपति तथा व्यापारी थे और मारवाड़ी राहत समिति के सदस्य भी थे । उन्होंने जनता के कल्याण में गहरी रुचि ली । उन्होंने देश में उद्योग के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया । उन्होंने अनेक देशों की यात्रा की थी । उद्योगों के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से उन्होंने यूरोप, अमरीका, जापान, बैंकाक तथा हांगकांग का भ्रमण किया था। उनका निधन 49 वर्ष की अल्पायु में 4 फरवरी, 1979 को कलकत्ता में हुआ।

हमें अपने इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक है और मुझे विश्वास है कि शोक सन्तप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने में यह सभा मेरा साथ देगी। अब सभा अपना शोक प्रकट करने के लिए कुछ क्षण मौन खड़ी होती है ।

(तत्पश्चात् सदस्य कुछ देर के लिए मौन खड़े रहे)

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : श्रीमान मैंने ब्रिटेन में कौमार्य परीक्षण जो कि उनकी चिकित्सा परिषद की एक धारा के अनुसार दंडनीय अपराध है, के बारे में एक प्रस्ताव की सूचना दी है . . . .

अध्यक्ष महोदय : परम्परा यह है कि जिस दिन राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है उस दिन इस तरह के किसी प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी जाती।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह बहुत ही गंभीर मामला है ।

अध्यक्ष महोदय : चाहे यह कैसा भी मामला हो·····

श्री ज्योतिर्मय बसु : हम अपने देश के सम्मान पर इस तरह के होने वाले हमले को सहन नहीं कर सकते।

श्री पी० वेंकट सुब्बैया : (नन्डयाल) वियतनाम पर चीनी हमले का क्या हुआ है ? उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा है।

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री अब नए मंत्रियों का परिचय करायेंगे।

नये मंत्रियों का परिचय

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मुझे आपको तथा सभा को अपने सहयोगियं का परिचय देने में अपार हर्ष है :—

श्री चरणसिंह, उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री।

श्री राम किंकर, निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री।

श्री जनेश्वर मिश्र, ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री।

श्री जगबीर सिंह, सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री।

श्री नरसिंह, पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

नगरीय भूमि (अधिकतम सीमा और विनमियन) सातवां संशोधन नियम, 1978

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : मैं निम्नलिखित प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

नगरीय भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 46 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, नगरीय भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) सातवां संशोधन नियम, 1978 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 18 दिसम्बर, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 580 (ङ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 3220/79]

वर्ष 1977 के लिए साहित्य आकादमी, नई दिल्ली, वर्ष 1977-78 के लिए केन्द्रीय उचत्तम तिब्बती अध्ययन स्नातकोत्तर अध्यापन और अनुसंधान संस्थान, वाराणसी और वर्ष 1977-78 लिए भारतीय ऐतिहासिक अनुसन्धान परिषद् के राजस्वों के वार्षिक प्रतिवेदन

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : मैं निम्नलिखित सभा-पटल पर रखता हूं।

(1) (एक) वर्ष 1977 के लिए साहित्य अकादमी, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) वर्ष 1977 के लिए साहित्य अकादमी, नई दिल्ली के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।
[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 3221/79]

(2) (एक) वर्ष 1977-78 के लिए केन्द्रीय उच्चतर तिब्बती अध्ययन स्नातकोत्तर अध्यापन और अनुसंधान संस्थान, वाराणसी के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) वर्ष 1977-78 के लिए केन्द्रीय उच्चतर तिब्बती अध्ययन स्नातकोत्तर अध्यापन और अनुसन्धान संस्थान, वाराणसी के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 3222/79]

(3) (एक) भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् के संस्था का ज्ञापन पत्र और नियमों के नियम 44(घ) के साथ पठित नियम 45 के अन्तर्गत वर्ष 1977-78 के लिए भारतीय ऐतिहासिक अनुसन्धान परिषद के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, प्रमाणित लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) वर्ष 1977-78 के लिए भारतीय ऐतिहासिक अनुसन्धान परिषद् के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 3223/79)

30-12-78 से 31-1-79 तक

राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश

संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्री (श्री रविन्द्र वर्मा) : मैं निम्नलिखित अध्यादेशों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ।

(एक) राष्ट्रपति द्वारा 30 दिसम्बर, 1978 को प्रख्यापित उद्योग (विकास और विनियमन) संशोधन अध्यादेश, 1978 (1978 का सं० 6)।
[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं० एल० टी० 3224/79]

(दो) राष्ट्रपति द्वारा 20 जनवरी, 1979 को प्रख्यापित पंजाब आबकारी (दिल्ली संशोधन) अध्यादेश, 1979 (1979 का सं० 1) :

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3225/79]

(तीन) राष्ट्रपति द्वारा 25 जनवरी, 1979 को प्रख्यापित चीनी उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) संशोधन अध्यादेश, 1979 (1979 का सं० 2)।
[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं० एल टी 3226/79]

(चार) राष्ट्रपति द्वारा 31 जनवरी, 1979 को प्रख्यापित श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार-पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबन्ध (संशोधन) अध्यादेश, 1979 (1979 का सं० 3)।
[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं० एल० टी० 3227/79]

भारतीय तार (दूसरा संशोधन) नियम, 1978

संचार मन्त्री (श्री ब्रजलाल वर्मा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

भारतीय तार अधिनियम 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अन्तर्गत भारतीय तार (दूसरा संशोधन) नियम, 1978 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 30 दिसम्बर, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1552 में प्रकाशित हुये थे।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये सं० एल० टी० 3228/79]

वर्ष 1976—78 के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के प्रमाणित लेखे सरकारी समीक्षा का साथ (हिन्दी संस्करण) और विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण तथा लेखे के अंग्रेजी संस्करण एक शुद्धि-पत्र

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम किंकर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) दिल्ली विकास अधिनियम 1957 की धारा 25 की उपधारा (4) के अंतर्गत वर्ष 1976-77 के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के प्रमाणित लेखे (हिन्दी संस्करण) @की एक प्रति तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) वर्ष 1976-77 के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के लेखों पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण।

(3) वर्ष 1976-77 के लिये दिल्ली विकास प्राधिकरण के प्रमाणित लेख और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तथा समीक्षा के भी अंग्रेजी संस्करण का एक शुद्धि-पत्र।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये सं० एल० टी० 3229/79]

उर्वरक (लाने-ले-जाने पर नियन्त्रण) वर्ष 1978 की लेखा परीक्षा और वर्ष 1977-78 के लिए चीनी उद्योग विकास परिषद का वार्षिक प्रतिवेदन

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत उर्वरक (लाने-ले जाने पर नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1978 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 17 नवम्बर 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा० सां० नि० 556(ङ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए सं० एल० टी० 32230/79]

(दो) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 7 की उपधारा (4) के अन्तर्गत वर्ष 1977-78 के लिये चीनी उद्योग विकास परिषद् के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये सं० एल० टी० 3231/79]

@लेखे और समीक्षा का अंग्रेजी संस्करण 19 दिसम्बर, 1978 को सभा-पटल पर रखा गया था।

सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (सोलहवां संशोधन और नियम), 1978 आदि आदि।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जुल्फिकारउसलाह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :--

(एक) सा० सां० नि० 581(ङ) जो दिनांक 18 दिसम्बर, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और आस्ट्रियन शिलिंग को भारतीय मुद्रा में बदलने और भारतीय मुद्रा को अस्ट्रियन शिलिंग में बदलने के लिए संशोधित विनिमय दर के बारे में व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० सां० नि० 588(ङ) जो दिनांक 22 दिसम्बर, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और पौंड स्टर्लिंग को भारतीय मुद्रा में बदलने तथा भारतीय मुद्रा को पौंड स्टर्लिंग में बदलने के लिये संशोधित विनिमय दर के बारे में व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा० सां० नि० 591(ङ) और 592(ङ) जो दिनांक 26 दिसम्बर, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं और मोटरगाड़ी उद्योग के कतिपय पुर्जों पर आयात शुल्क घटाने के बारे में व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) सा० सां० नि० 593(ङ) जो दिनांक 26 दिसम्बर, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और ट्रांसफार्मरों और इन्डक्टरों के फेराइटस से बने सहायक पुर्जों पर आयात शुल्क के बारे में संशोधन के व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा० सां० नि० 602(ङ) जो दिनांक 30 दिसम्बर, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और "डिब्बा बंद चाय" की परिभाषा में संशोधन के बारे में व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छः) सा०सां० नि० 1(ङ) जो दिनाँक 1 जनवरी, 1974 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में बदलने तथा भारतीय मुद्रा को कतिपय विदेशी मुद्राओं में बदलने की विनिमय दर के बारे में व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा०सां०नि० 22(ङ) और 23 (ङ) जो दिनाँक 9 जनवरी, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं और कपास की कतिपय किस्मों पर निर्यात शुल्क में छूट देने के बारे में व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा० सां० नि० 29(ङ) और 30 (ङ) जो दिनाँक 18 जनवरी, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं और चाय के थैलों की मशीनों पर आयात शुल्क घटाने के बारे में व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा० सां० नि० 46(ङ) जो दिनाँक 27 जनवरी, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और स्टीटाइट (टैल्क) पर निर्यात शुल्क में छूट देने के बारे में व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा० सां० नि० 53(ङ) और 54(ङ) जो दिनाँक 31 जनवरी, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और सल्युलोस एसीटेट चादरों पतरियों पर आयात शुल्क घटाने के बारे में व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये सं० एल० टी०--3232/79]

(2) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति।

(एक) सा० सां० नि० 6(ङ) से 8 (ङ) जो दिनाँक 1 जनवरी, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और खण्डसारी पर पूरे निर्यात शुल्क से छूट देने के बारे में व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा०सां० नि० 10(ङ) जो दिनाँक 4 जनवरी, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र में लाये जाने वाले भट्टी के तेल और द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस को उत्पाद-शुल्क से छूट देने के बारे में व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा०सां०नि० 33(ङ) जो दिनाँक 6 जनवरी, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और पोलियामाईड (लाइलोन) धागे के उत्पादन के लिये कैप्रोलैक्टम के कथित प्रयोग की शर्तों के बारे में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक कलेक्टर को अपनी सन्तुष्टि करने का अधिकार देने के बारे में व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा०सां०नि० 39 और 40 जो दिनाँक 13 जनवरी, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं और विशिष्ट औद्योगिक प्रक्रियाओं में उत्पाद-शुल्क योग्य वस्तुओं के कथित प्रयोग के बारे में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के सहायक कलेक्टर को अपनी सन्तुष्टि करने का अधिकार देने के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
[ग्रंथालय में रखे गये: देखिये सं० एल० टी०—3233/79]

(3) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अधीन केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (सोलहवाँ संशोधन) नियम, 1978 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनाँक 28 दिसम्बर, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 597 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।
[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3234/79]

(4) तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति का जब्त किया जाना) अधिनियम, 1976 की धारा 26 की उपधारा (3) के अधीन तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (जब्त सम्पत्ति के लिए अपीलीय प्राधिकरण) संशोधन नियम, 1978 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनाँक 13 जनवरी, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 27 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।
[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—3235/79]

(एक) स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 की धारा 114 की उपधारा (3) के अन्तर्गत स्वर्ण नियंत्रण (प्रपत्र, फीस और प्रकीर्ण मामले) तीसरा संशोधन नियम, 1978 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनाँक 7 नवम्बर, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सां० आ० 736 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)
[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० –3236/79]

(6) सामान्य बीमा व्यापार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 17 के अन्तर्गत, सामान्य बीमा (अधिकारियों के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का युक्तियुक्तकरण) चौथा संशोधन

स्कीम, 1978 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनाँक 6 जनवरी, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सां० मा०आ० 5 में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या सं० एल०टी—3237/79]

(7) सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1976 की धारा 7 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्न-लिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति:—

(एक) सां०सां०नि० 21 (ङ) जो दिनाँक 9 जनवरी, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा कपास पर निर्यात शुल्क में वृद्धि के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सां०सां०नि० 34 (ङ) जो दिनाँक 20 जनवरी, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा हल्दी पर निर्यात शुल्क लगाये जाने के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० —3238/79]

रेलवे अभिसमय समिति

पांचवां प्रतिवेदन

श्री कृष्ण कान्त : (चंडीगढ़) : मैं वर्ष 1978-79 और 1979-80 के लिए लाभांश की दर और अन्य आनुषंगिक विषयों संबंधी रेलवे-अभिसमय समिति का पाँचवाँ प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

चीनी उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) संशोधन विधेयक

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : मैं चीनी उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) अधि-नियम, 1978 का संशोधन करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति का प्रस्ताव करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:—

"कि चीनी उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) अधिनियम, 1978 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

चीनी उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) संशोधन अध्यादेश के बारे में विवरण

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : मैं चीनी उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) संशोधन अध्यादेश, 1979 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—3239/79]

श्रमजीवी पत्रकार तथा अन्य समाचार -पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबन्ध संशोधन विधेयक

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : मैं श्रमजीवी पत्रकार तथा अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1955 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति का प्रस्ताव करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि श्रमजीवी पत्रकार तथा अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1955 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री रवीन्द्र वर्मा : मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूं।

श्रमजीवी पत्रकार तथा अन्य समाचार-पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबन्ध संशोधन अध्यादेश के बारे में विवरण

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : मैं श्रमजीवी पत्रकार तथा अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबन्ध (संशोधन) अध्यादेश, 1979 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3240/79]

अध्यक्ष महोदय : आज की कार्य सूची पूरी हो गई है। सभा अब कल 11 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

मध्याह्न पश्चात् 12.54 बजे

इसके पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 20 फरवरी, 1979/30 माघ, 1900 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

MGIPRRND—IV—39 LSS 78—7-4-79—210